कार्यालय वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त अयोध्या।

पत्रांक 1675 /14–10 दिनांक, अयोध्या, दिसम्बर 19 /2023।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणा बाईपास) 4/6 लेन के निर्माण में फैजाबाद वन प्रभाग में प्रभावित 1.586 हें0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन ,बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हें0 संरक्षित वन के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हें0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। **प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0पी0/रोड/151936/2022।**

सन्दर्भः– वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/303/2022/एफ0सी0/340 दिनांक 08.09.2023, एवं आपका पत्रांक 704/11–सी दिनांक 14–09–2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अयोध्या के पत्रांक 2127/14–4 दिनांक 15.12.2023 द्वारा आपत्तियों/कमियों का निराकरण करके वांछित बिन्दुवार सूचना/अभिलेख संस्तुत सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्राप्त बिन्दुवार सूचना/अभिलेख संस्तुति सहित तीन प्रतियों में संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(मनोज कुमार सोनकर)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
समाजिक वानिकी,सरयू वृत्त,अयोध्या।

पृ0सं0 1675/उक्त दिनांक।

1– प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अयोध्या को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया सुनिश्चित करें, कि जब तक उक्त गैर वानिकी कार्य कराये जाने की विधिवत स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न हो जाय तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य कदापि न प्रारम्भ होने दें।

2– प्रतिलिपि– परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार), परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार सोनकर)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
समाजिक वानिकी,सरयू वृत्त,अयोध्या।

a/c